रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 297] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

भारतीय दन्त परिषद

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सं. डी.ई.–87(1)(8)–2017.—भारतीय दन्त परिषद अधिनियम, 1948 की धारा–20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये "संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम, 2007" जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग–III खण्ड–4 में दिनांक 10.09.2007 को प्रकाशित और अधिसूचित किये गये थे, में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय दन्त परिषद, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा प्रचलित विनियम में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, नामतः

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भण :

   (i) इन विनियमों को संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम (आठवां संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाए।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. "दन्त सर्जरी में स्नातक डिग्री के लिय विनियम, 2007" के अन्तर्गत 'शीर्षक 'प्रवेश, चयन और प्रवास को प्रवेश, चयन, परामर्श और प्रवास' शीर्षक पढ़ा जायेगा।

3. उपर्युक्त के शीर्षक–2 के अन्तर्गत धारा–II 'छात्रों का चयन' में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा।

   (II) एक समान परामर्श (कांउसिलिंग)

   1. सभी दन्त शिक्षण संस्थानों में बी.डी.एस. प्रवेश के लिये राष्ट्रीय पात्रता सह–प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर एक समान परामर्श (कांउसिलिंग) होगी।

   2. मानित विश्वविद्यालय और संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र सरकार के दन्त शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के सभी बी.डी.एस. सीटों और सम्मिलित राज्यों के लिए 15% कोटा सीटों की कांउसिलिंग के लिये महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नामित प्राधिकारी होगी।

   3. राज्य सरकार द्वारा स्थापित दन्त शिक्षण संस्थान और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थानों दन्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये कांउसिलिंग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा की जायेगी।

4. ऐसी एक सामान्य परामर्श (कांउसिलिंग) पर अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो संबंधित राज्य सरकार मामले को केन्द्र सरकार के पास भेजेगी और इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./163/17]

पद टिप्पणी : प्रधान विनियम नामतः "भारतीय दन्त परिषद संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम, 2007" भारत के राजपत्र के भाग–III खण्ड (4) में 10 सितम्बर, 2007 को अधिसूचित हुआ और इसमें हुये संशोधनों को दिनांक 11.01.2008, 29.10.2010, 25.08.2011, 09.12.2011, 01.06.2012, 24.06.2013, 23.05.2005 को अधिसूचित किया गया।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2017

No. DE-87(1)(8)-2017.—In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing Principal "Revised BDS Course Regulations, 2007" published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10.9.2007:-

1. **Short title and commencement:—**
   (i) These Regulations may be called the Revised BDS Course (8th Amendment) Regulations, 2017.
   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Under the heading "**REGULATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF DENTAL SURGERY, 2007**" the heading 'ADMISSION, SELECTION, AND MIGRATION' the title shall be read as 'ADMISSION, SELECTION, COUNSELLING AND MIGRATION'.

3. In heading 2. above, under clause II. 'Selection of Students' the following shall be added:-

II. A Common Counselling.

1 There shall be a common counselling for admission to BDS course in all dental educational institutions on the basis of merit list of the National Eligibility-cum-Entrance Test.

2 The designated authority for counselling for the 15% All India Quota seats of the contributing States and all BDS seats of Dental Education Institutions of the Central Government, universities established by an Act of Parliament and the Deemed Universities shall be the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

3 The counselling for admission to BDS course in a State/Union Territory, including, Dental Education Institutions established by the State Government, University established by an Act of State/Union Territory Legislature, Trust, Society, Minority Institutions shall be conducted by the State/Union Territory Government.

4 In case any dispute arises on such common counselling, the respective State Government shall refer the matter to the Central Government and its decision shall be final, in this regard.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./163/17]

Foot Note: The Principal Regulation namely, "Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007" were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India *vide* Notification dated the 10th, September, 2007 and amended vide notification dated 11.01.2008, 29.10.2010, 25.08.2011, 09.12.2011, 01.06.2012, 24.06.2013, 23.05.2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.27 23:10:00 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.